प्रपत्र–3

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड कें समस्त नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत कूड़ा प्रसंस्करण /Land fill एंव ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्याः– 293/IV(2)-श0वि0–2016–35(को0के0)/15 दिनांक 18.02.2016 तथा 1913/श0वि0नि0–2012–933 (ठो0अ0प्र0)/12 दिनांक 13.02.2013 तथा 282/मु.स.–नि.स./2012 दिनांक 13.8.2012 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न की जा रही है। वित्तिय स्वीकृति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण की सैन्द्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त होते ही शासन द्वारा वित्तिय स्वीकृति निर्गत की जायेगी जिसे तत्काल भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
बनवसा (चम्पावत)

21

मुख्य सचिव

संख्या: 202/मु.स.-नि.स./2012
दिनांक : अगस्त 13, 2012

सचिव, शहरी विकास
उत्तराखण्ड शासन

प०सं०...1047.../नि.स./स./परि
देहरादून: दिनांक...18/08...20/2

महत्वपूर्ण / निदेशक न. नि.
अपर सचिव नगर विकास

दिनांक 30 जुलाई, 2012 को मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ने अवगत कराया कि राज्य के अनेक नगरों में solid waste management हेतु land fills/ dumping ground तथा STPs हेतु भूखण्डों की आवश्यकता है। बैठक में उपस्थित प्रमुख वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने वन विभाग की ओर से यह प्रस्ताव किया कि उक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में नगर पालिकाओं/ नगर निगमों द्वारा जो Land fills / STPs हेतु भूखण्ड चिन्हित (earmark) भी किए गये हैं वह कदाचित घनी आबादी क्षेत्र के भीतर होने के कारण पर्यावरण अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत नियमों के अनुकूल नहीं हैं। अतः मैं चाहूँगा कि आप अविलम्ब वन विभाग से समन्वय करके विभिन्न नगरों में उपरोक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूखण्डों का आवंटन सुनिश्चित कर लें ताकि तदनुसार वर्तमान में भूमि की अनुपलब्धता के कारण अवरुद्ध योजनायें तथा भविष्य में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के लिए कोई कठिनाई न हो।

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

(डा० उमाकान्त पंवार)
सचिव
नियोजन एवं शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

14.8.2012

15.8.12

Put up on file

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख वन संरक्षक
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
3. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
बनवसा (चम्पावत)

54

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्या–293/IV(2)-श0वि0–2016–35(को0के0)/15
देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय–समय प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (SWM) योजनान्तर्गत नगर निकायों में कूड़े–कचरे के निस्तारण हेतु लैंड फिल (ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड) के प्रयोजनार्थ भूमि के चिन्हिकरण/हस्तान्तरण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	प्रभागीय वनाधिकारी (सम्बन्धित वन प्रभाग)	सदस्य
3	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (सम्बन्धित नगर निकाय)	सदस्य सचिव
4	क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा नगर निकायों के कूड़े–कचरे/ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु भूमि चिन्हित करते हुए यथावश्यकता भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त समिति द्वारा विषय से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों/विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या–293/IV(2)-श0वि0–2016–35(को0के0)/15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, शहरी विकास/अध्यक्ष एस0डब्ल्यू0एम0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड (द्वारा– शहरी विकास निदेशालय) देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

DD/EE. A.O.
to all ULBs to circulate
20.2.16 E.O.

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

33

संख्या 1913 /श0वि0नि0–2012–933(ठो0अ0प्र0)/12

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

सेवा में,

अपर सचिव,
वन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2013

विषयः– **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़ा प्रसंस्करण/Land fill एवं ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भू–खण्ड की उपलब्धता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 909/श0वि0नि0/ठो0अ0प्र0/2012–13 दिनांक 23–8–2012 एवं पत्र संख्या 1020/श0वि0नि0–933(ठो0अ0प्र0)/12 दिनांक 18–9–2012 (छायाप्रतियां संलग्न), जो प्रमुख वन संरक्षक को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करना चाहें। उक्त पत्रों के द्वारा जिन नगर निकायों के पास ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कूड़ा प्रसंस्करण/Land fill एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु भू–खण्ड की उपलब्धता नहीं है, ऐसी निकायों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर भू–खण्ड का चयन करने तथा उसे वन विभाग से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव किये जाने के लिए नगर निकायों को निर्देशित किया गया था।

2– कतिपय नगर निकायों द्वारा भूमि चयनित कर वन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा कतिपय नगर निकायों में अभी तक भूमि चिन्हित नहीं हो पायी गयी है।

3– अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16–8–2012 (कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न) को सम्पन्न हुई बैठक में निर्देश दिये कि ऐसी सभी निकायों में जहां कूड़ा निस्तारण व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है वहां की निकायों के सम्बन्धित अधिकारी वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वन विभाग की भूमि का चिन्हीकरण कर ले तथा वन विभाग की भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें, जिससे निकायों को कूड़ा निस्तारण व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु वन विभाग की भूमि उपलब्ध करायी जा सकें।

4– उपरोक्त के क्रम में अनुसार है कि कृपया अपने अधीनस्थ जिला वनाधिकारी को वन विभाग की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कूड़ा प्रसंस्करण/Land fill एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु भू–खण्ड उपलब्ध कराने तथा भू–खण्ड का चिन्हांकन करानें नगर निकायों के अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधिका झा)
निदेशक।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपिः स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2– प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार/देहरादून/हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वन विभाग की भूमि चिन्हित करने हेतु वन विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

3– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वन विभाग की भूमि चिन्हित करने हेतु वन विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(राधिका झा)
निदेशक।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

(13)